

-3-

File No. 2(10)/ 06-DPE (WC)
Government of India
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Block 14, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi

Dated 8th December, 2006

OFFICE MEMORANDUM

Subject: 2nd Pay Revision Committee

The undersigned is directed to say that the 2nd Pay Revision Committee for revision of pay scales and other emoluments of Central Public Sector Enterprises executives has been set up. A copy of the Gazette Notification No. 2(10)/ 06-DPE (WC) dated 1.12.2006 indicating the composition of the Committee and its terms of reference is enclosed. The copy of the resolution is also available at the website <http://dpe.nic.in>.

Encl: As above.



(P.C. Cyriac)
Director

To

1. All Administrative Ministries.
2. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
3. All Financial Advisors in the Administrative Ministries.
4. Deptt. of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
5. The Comptroller & Auditor General of India, 10, B.S. Zaffar Marg, New Delhi.

Copy to 1. PMO, (Ms. V. Vidyavathi, Director) South Block, New Delhi.

**2. Cabinet Secretariate,
(Shri Rajeev Ranjan, Director)
Rastrapathi Bhawan,
New Delhi.**

**3. Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)
(Dr. S.M. Dewan, Director General)
SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi**



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2006/अग्रहायण 10, 1928

No. 268]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2006/AGRAHAYANA 10, 1928

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2006

सं. 2 (10)/06/लोउवि-मजूरी कक्ष.—भारत सरकार विगत कुछ समय से सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों की वेतन संरचना में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों पर विचार करती रही है। दिनांक 1-1-1997 से किए गए पिछले वेतन संशोधन के बाद से स्थितियां कई मामलों में बदल गई हैं।

2.1 समक्ष प्राधिकारी, वेतन संशोधन समिति के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष	न्यायमूर्ति श्री एम. जे. राव (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय)
सदस्य	(1) डॉ. नीतीश सेनगुप्त (अर्थशास्त्री एवं भूतपूर्व सदस्य-सचिव, योजना आयोग)
	(2) श्री पी. सी. पारख (भूतपूर्व सचिव, कोयला विभाग, भारत सरकार)
	(3) श्री आर.एस.एस.एल.एन. भास्करूडु (भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, माहति उद्योग लि. तथा भूतपूर्व अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मंडल)
पदेन-सदस्य	(4) सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार
सचिव	संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार

2.2 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

2.2.1 समिति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यपालकों को दिए जाने वाले संपूर्ण पैकेज, जिसमें गैर-मौद्रिक प्रकृति वाले भी शामिल होंगे, को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन, भत्ते, अनुलाभों तथा अन्य लाभों के सिद्धांतों की जांच करेगी तथा उन परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देगी, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हों :

(i) निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालक

